

सूचना

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एमसीपीसी के सहयोग से भारत के मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति और कार्यकारी अध्यक्ष, एमसीपीसी के मार्गदर्शन में राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अनुक्रम में उ०प्र०राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार उ०प्र०सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली 2021 के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ में मध्यस्थगण के वर्तमान पैनल में कार्यरत 30 अधिवक्ता मध्यस्थगण की संख्या को बढ़ाकर 40 मध्यस्थगण का नवीन पैनल तैयार किया जाना है। उक्त हेतु नियमावली के अनुसार निम्नलिखित में से अर्हतायें रखने वाले व्यक्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं :-

- 1- ऐसे अधिवक्ता जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो,
- 2- सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
- 3- ऐसे वृत्तिक विशेषज्ञ (Professional Experts) जिनके पास अपने अपने क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हो।

आवेदकों को एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

आवेदन पत्र का प्रारूप सहित सम्पूर्ण जानकारी जिला न्यायालय, लखनऊ की वेबसाइट districts.ecourts.gov.in/lucknow से प्राप्त की जा सकती है।

पूर्णतया भरे हुये आवेदन पत्र (सम्बन्धित प्रपत्र के साथ) कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वितीय तल, पुराना उच्च न्यायालय कैसरबाग, लखनऊ में जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 06.08.2025 तक है। दिनांक 06.08.2025 को सायंकाल 05:00 के उपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

आज्ञा से,
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
लखनऊ
02.08.2025

Schedule - I
MEDIATION AND CONCILIATION CENTRE
(District)
(APPLICATION FOR BEING EMPANELLED AS MEDIATOR)

1. Name :
2. Father's Name :
- 3- Address :
 - (a) Office
 - (b) Residence
4. Telephone No. :
 - (a) Office
 - (b) Residence
5. Mobile No. :
 - (a) Office
 - (b) Residence
6. E-mail Id:
7. Academic Qualifications:
8. Professional Qualifications and Experience:
9. Technical experience, if any:
10. Special qualification or experience in Mediation, if any:
11. Bar Council Enrollment Number with date:
(applicable only to advocates)
12. Whether any Charge Sheet has been submitted against you
in any Court? :
13. Whether you have been convicted by the Court for offense involving moral
turpitude? :
14. Whether you have been adjudged insolvent or have been declared to be of
unsound mind? :
15. Whether any disciplinary proceedings have ever been initiated against you by
the disciplinary authority, or whether you have been punished in such
disciplinary proceedings? :

Self attested
Photograph to be
affixed

I do hereby submit that I am willing to be empanelled as a mediator in Judgeship and give my consent for being empanelled under Rule 3 of the Uttar Pradesh Civil Procedure (District Court) Mediation Rules, 2021. I assure that during my term as a mediator, I shall follow ethics as prescribed in Rule 22 of the said Rules while performing my duties. I also undertake to undergo the mediator's training as prescribed by the Mediation and Conciliation Project Committee of the Supreme Court of India. I declare that the above furnished information is true to the best of my knowledge and nothing has been concealed.

Full Signature:

Date:

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।